न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 96 / 2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2024 / 195**

दायर दिनांक :— 20.06.2024 **निर्णय दिनांक :— 29.11.2024**

प्रार्थीगण

01. किसनाराम पुत्र बुधाराम
02. कोजाराम पुत्र बुधाराम
03. चम्पा पत्नी बुधाराम
04. प्रेमाराम पुत्र बुधाराम
05. बीजाराम पुत्र बुधाराम
06. रूपाराम पुत्र बुधाराम
07. शेराराम पुत्र बुधाराम
    जाति मेघवाल निवासी घंटियाली
08. भोमाराम पुत्र धनाराम
09. मंजू पत्नी बजरंगराम
10. रिछपालराम पुत्र बजरंगराम
11. सरस्वती पुत्री बजरंगराम
12. मैमा पुत्री बजरंगराम
    प्रार्थीगण सं. 10 ता 12 नाबालिग
    जरिये सरंक्षक माता
    मंजू पत्नी बजरंगराम
    जाति गवारिया निवासी घंटियाली
    तहसील घंटियाली जिला फलोदी

बनाम

अप्रार्थीगण

01. अर्जुनराम खींयाराम
02. ओमप्रकाश पुत्र बचनाराम
03. किसनाराम पुत्र बचनाराम
04. गणपतराम पुत्र फूलाराम
05. झबरू राम पुत्र फगलूराम
06. पपुराम पुत्र बचनाराम
07. बगडूराम पुत्र खींयाराम
08. बीरबलराम पुत्र खींयाराम
09. भैराराम पुत्र भारमलराम
10. भूराराम पुत्र भारमलराम
11. भीखाराम पुत्र हीराराम
12. मोहनी पुत्री हीराराम
13. रमकू पत्नी अजीताराम
14. राजाराम पुत्र अजीताराम
15. रामनारायण पुत्र बगताराम
16. शंकरलाल पुत्र फगलूराम
17. शांतिदेवी पुत्री राणाराम
18. सुखराम पुत्र बचनाराम
19. सुरजकरण पुत्र बचनाराम
20. सोहनलाल पुत्र बरसींगाराम
21. हड़मानराम पुत्र अजीताराम
22. हरभजराम पुत्र बगताराम
23. हरीराम पुत्र बगताराम
24. हीराराम पुत्र खींयाराम
    जाति विश्नोई
    निवासी सजनाणियों की ढाणी
    तहसील घंटियाली जिला फलोदी
25. नेकमोहम्मद पुत्र मीरू खां
26. मेहमूद पुत्र मीरू खां
27. सखीमोहम्मद पुत्र मीरू खां
28. गनीमोहम्मद पुत्र हकीम खां
29. साईने खां पुत्र अलदीन खां
30. भाई खान पुत्र हकीम खां
    जाति मुसलमान निवासी घंटियाली
    तहसील बाप जिला फलोदी
31. झबरूराम पुत्र फगलूराम

सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी) 29.11.24

32. शंकरलाल पुत्र फगलूराम
जाति विश्नोई निवासी सजनानियों
ढाणी तहसील घंटियाली जिला
फलोदी
33. करणसिंह पुत्र आसुसिंह
34. गंगासिंह पुत्र मूलसिंह
35. जबरसिंह पुत्र आसुसिंह
36. दुर्गसिंह पुत्र लिछमणसिंह
37. देवीसिंह पुत्र आसुसिंह
38. धूडसिंह पुत्र आसुसिंह
39. पुष्पा पुत्री लिछमणसिंह
40. भवानीसिंह पुत्र लिछमणसिंह
41. भीवसिंह पुत्र मूलसिंह
42. नाबालिग महेन्द्रसिंह पुत्र
लिछमणसिंह संरक्षक वली माता
सिरेकंवर पत्नि लिछमणसिंह
43. मांगुकंवर पुत्री लिछमणसिंह
44. सुमन पुत्री लिछमणसिंह
45. सादुलसिंह पुत्र मूलसिंह
46. सिरे कंवर पत्नि लिछमणसिंह
47. हुकमसिंह पुत्र आसुसिंह
जाति राजपूत निवासी घंटियाली
तहसील घंटियाली जिला फलोदी
48. कानाराम पुत्र लालूराम
49. नथाराम पुत्र लालूराम
जाति जाट निवासी घंटियाली
तहसील घंटियाली जिला फलोदी
50. ग्राम पंचायत घंटियाली
51. श्रीमान तहसीलदार, घंटियाली

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–1. श्री पप्पूराम मेघवाल अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 318 रकबा 21.1165 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 316 रकबा 3.5369 हैक्टेयर ग्राम घंटियाली पटवार हल्का घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी (राज.) की सरहद में स्थित है। जमाबन्दी व राजस्व भू–नक्शा की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार घंटियाली द्वारा दिनांक 26.12.2023

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

को जारी आदेश कम संख्या 218 की पालना में दिनांक 14.05.2024 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश तैयार कर मौतबीरान के रूबरू प्रार्थीगण तथा पड़ौसी खातेदारान को सीमा ज्ञान करवाया गया तथा सीमा चिह्न कायम किये गये। दिनांक 14.05.2024 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण के उक्त खसरे की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हो (फर्द नजरी नक्शा) के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरे की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टियां रोपकर बाड़, तारबन्दी इत्यादि करना शुरू करने पर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 49 द्वारा व्यवधान पैदाकर प्रार्थीगण को तारबंदी नहीं करने दे रहे है। प्रार्थी की उक्त भूमि की बाड़, तारबंदी नहीं हो पाने से प्रार्थी अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टिया रोपकर तारबंदी, जाली नहीं कर पाने से प्रार्थीगण को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 14.05.2024 के माफिक सीमा पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 51 पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 50 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम घंटियाली पटवार हल्का घंटियाली तहसील घंटियाली में खेत खसरा नम्बर 316 रकबा 33.5369 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 318 रकश्बा 21.1165 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का अपने अपने हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि पैमाईश फर्द दिनांक 14.05.2024 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम घंटियाली पटवार हल्का घंटियाली तहसील घंटियाली में खेत खसरा नम्बर 316 रकबा 33.5369 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 318 रकश्बा 21.1165 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाने का पूर्ण अधिकार हैं। इसिलए प्रार्थीगण पैमाईश फर्द दिनांक 14.05.2024 अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

29.11.24
सहायक कलेक्टर
...याय (...)

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम घंटियाली पटवार हल्का घंटियाली तहसील घंटियाली में खेत खसरा नम्बर 316 रकबा 33.5369 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 318 रकश्बा 21.1165 हैक्टेयर भूमि की पत्थर गड़ढी मौका फर्द दिनांक 14.05.2024 अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार घंटियाली उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गडढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.11.24

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)